न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 100/2022 बउनवानी नरेश कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.मा.
पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी शेरपुर खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/173

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. खिलचीपुर ग्राम के ख0न0 4533/5033 मे जोनल प्लान प्रारम्भ करने की तारीख सहित कापी।
2. जोनल प्लान का अधिसूचना पेपर सहित मय तारीख।
3. जोनल प्लान की स्वीकृति मय तारीख एवं आदेश
4. माया देवी पत्नि राजेश गोयल, गोरा देवी पत्नि हरिचरण शर्मा टोंक रोड़ की भूमि रूपान्तरण नक्शा न्यास
5. ख0न0 4533/5033 मे कितनी जमीन गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1149 दिनांक 30.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना न्यास के पत्रांक प.नविन्या/समा/2022/976 दिनांक 24.8.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को न्यास का पत्र कमांक 976 दिनांक 24.8.2022 एवं उसके साथ संलग्न दो पृष्ठ की सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः सूचना दिलवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 मे चाही गयी सूचना सचिव, नगर विकास न्यास द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 976 दिनांक 24.8.2022 से भिजवायी गयी है किन्तु अपीलान्ट को प्राप्त नही हुई है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास को निर्देशित किया जाता है अपीलान्ट को न्यास के पत्रांक 976 दिनांक 24.8.2022 मय संलग्नक (दो पृष्ठ) पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील [illegible] का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर